

परिवादी सहित श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता।

प्रकरण आज परिवाद पर संज्ञान संबंधी आदेश हेतु नियत है।

परिवाद के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि परिवादी सुनीता ग्राम नीरपुरा, चौकी झोंकरी, थाना-मौ की निवासी है। दिनांक : 06/05/2016 को दिन के 12:00 बजे जब परिवादी उसके घर के बाहर खड़ी थी, तभी गांव का भारत सिंह शराब पीकर परिवादी के दरवाजा पर आ गया और उससे शराब पीने के लिए 200/- रुपये मांगने लगा, परिवादी द्वारा मना करने पर भारत सिंह ने उसे मादरचोद-बहिनचोद की गंदी-गंदी गालियाँ दी। गालियाँ देने से मना करने पर परिवादी को थप्पड़ मार दिया। उसी समय आरोपी भारत का लड़का मोनू भी घटनास्थल पर आ गया और वह भी परिवादी से गाली-गलौच करने लगा। तत्पश्चात् आरोपी भारत ने उसके लड़के मोनू के साथ मिलकर परिवादी की मारपीट की, जिससे उसके शरीर में जगह-जगह मूदी हुई चोटे आई। घटना के समय परिवादी चिल्लाई तो उसकी देवरानी देवश्री, पुत्री वर्षा और देवर परमाल घटनास्थल पर आ गये और उन्होंने घटना देखी और बीच-बचाव कराया। जाते समय आरोपीगण कह रहे थे कि साली आज तो बच गई आइंदा अकेली मिली तो जान से खत्म देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट परिवादी द्वारा थाना मौ पर की जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध केवल अदम् चैक अर्थात् पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना क्रमांक 29/2016 लेखबद्ध की गई और उक्त रिपोर्ट परिवादी के बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं की गई। थाना मौ द्वारा राजनीतिक रूप से दबंग आरोपी भारत सिंह जो कि पूर्व सरपंच है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, तब परिवादी द्वारा यह परिवाद अन्तर्गत धारा 294, 323, 327, 506 भाग II भा.द.सं. के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष आरोपी भारत एवं मोनू के विरुद्ध प्रस्तुत किया। अतः परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि आरोपीगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध का संज्ञान लेकर आरोपीगण को दण्डित किया जाये।

उक्त परिवाद के संबंध में परिवादी सुनीता, उसकी देवरानी देवश्री, पुत्री वर्षा के कथन अन्तर्गत धारा 200 एवं

202 द.प्र.सं लेखबद्ध किये गये।

पंजीयन पर तर्क सुने गये।

परिवाद पत्र, परिवादी की ओर से प्रस्तुत थाना मौ के पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना क्रमांक 29/2016 अन्तर्गत धारा 323 एवं 504 भा.द.सं., परिवादी सुनीता एवं उसके साक्षियों के कथनों का अवलोकन किया गया। परिवादी सुनीता, उसकी पुत्री वर्षा एवं देवरानी देवश्री ने परिवादी के परिवाद के तथ्यों के अनुरूप कथन न्यायालय के समक्ष किये हैं। जिससे प्रथम दृष्टया परिवादी के परिवाद के तथ्यों की पुष्टि होती है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत थाना मौ के पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना क्रमांक 29/2016 के तथ्यों से भी सारतः परिवादी के परिवाद के तथ्यों की प्रथम दृष्टया पुष्टि हो रही है। इस प्रकार आरोपीगण भारत एवं मोनू के विरुद्ध धारा 294, 323, 327 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अन्तर्गत संज्ञान लिये जाने के आधार प्रथम दृष्टया अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होते हैं। अतः आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 323, 327 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया।

प्रकरण आपराधिक प्रकरणों की केन्द्रीय पंजी में दर्ज किया जाये।

परिवादी द्वारा तलवाना अदा किये जाने पर आरोपीगण की उपस्थिति के लिए समन जारी हो।

प्रकरण आरोपीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक : 12/07/2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा  
जे.एम.एफ.सी., गोहद